सी.ए. सुधीर हालाखंडी

आइये समझे जी.एस.टी. को
छोटे एवं माध्यम दर्जे के व्यापार एवं उद्योग के लिए
98280-67256
(केवल व्हाट्स एप्प संपर्क के लिये प्रयोग करें)
दिनांक 20अप्रैल 2017

DO NOT COPY

भाग -6

जी.एस.टी. सुधीर हालाखंडी – सामयिक सवालों के जवाब

जी.एस.टी. के सम्बन्ध में अभी तक हमने भाग – 1 से भाग -5 तक के जो लेख आपको भेजे है उसके बाद हमें काफी जिज्ञासा से भरे सवाल प्राप्त हुए है तो आगे बढ़ने से पहले आइये इनमें से कुछ का जवाब दे लें ताकि इस सम्बन्ध में आपकी जानकारी आर अधिक अच्छी हो सके . तो आइये चर्चा करें आपके कुछ सवालों पर .

प्रश्न :-क्या जी.एस.टी. गेम चेंजर होगा ? जिस तरह से प्रचारित किया जा रहा है क्या जी.एस.टी. उसी तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए " गेम चेंजर" होगा ?

सुधीर हालाखंडी :-

हाँ , जी.एस.टी. के बारे में जो कहा जा रहा है वह सच है . यदि जी.एस.टी. लागू होगा तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा बदल कर रख देगा . भारतीय अर्थव्यवस्था पर जी.एस.टी. एक बहुत प्रभाव डालने वाला होगा. यह भारतीय कर व्यवस्था में अब तक का सबसे बड़ा परिवर्तन है इसलिए इसके परिणाम भी इतने ही बड़े होंगे.

प्रश्न :-क्या यह प्रभाव सकारात्मक होगा ?

सुधीर हालाखंडी :-

DO NOT COPY

हां , आप उम्मीद करें कि यह प्रभाव सकारात्मक ही हो क्यों कि जिस उम्मीद और प्रचार के साथ जी.एस.टी. लागू किया जा रहा अब उसमे सफलता के अलावा कोई और कल्पना करना भी अव्यवहारिक होगा . यदि जी.एस.टी. के परिणाम नकारात्मक हुए तो यह भारत की अर्थव्यवस्था के लम्बे समय तक इन्हें बर्दाश्त करना होगा क्यों कि जी.एस.टी. एक बार लागू करने के बाद इसे वापिस लेना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं होगा.

इसलिए इस समय जी.एस.टी. की असफलता की चर्चा करने का कोई महत्त्व नहीं है और हम यह मांग कर चले कि जी.एस.टी. जब भी लागू होगा सफल ही होगा भारत की अर्थयवस्था पर इसके प्रभाव सकारात्मक ही होंगे.

प्रश्न :-क्या जी.एस.टी. के सम्बन्ध में कानून बन चुके है या अभी इनपर कोई अभी भी कार्य बाकी है ?

सुधीर हालाखंडी :-

केंद्र को जो भी कानून बनाने थे वे सभी संसद से पास हो चुके है और राष्ट्रपति महोदय्य के दस्तखत भी हो चुके है . जी..एस.टी. के प्रक्रिया सम्बन्धी रूल्स के ड्राफ्ट भी जारी हो चुके है . जी.एस.टी. कौंसिल की मई माह के पहले सप्ताह में जो मीटिंग होने वाली है उसमे जी.एस.टी. के रूल्स को भी अंतिम रूप दे दिए जाने की संभावना है .

प्रश्न :-इस हिसाब से तो तैयारी पूरी हो चुकी है . क्या आपके हिसाब से अभी भी कुछ बाकी है ?

DO NOT COPY

सुधीर हालाखंडी :-

हाँ दो मुख्य बातें अभी बाकी है . एक तो वस्तुवार कर की दर अभी तय नहीं हुई है कि कौनसी वस्तु कर मुक्त या किस पर 5 प्रतिशत या 12 , 18 प्रतिशत कर की दर लगेगी.

इसके अतिरक्त राज्यों को अपने एस.जी.एस.टी. अर्थात राज्यों के जी.एस.टी. के कानून विधान सभाओं को पारित करने है इसमें से अभी तेलांगाना ही के राज्य है जहां अभी विधान सभा का विशेष अधिवेशन बुला कर राज्य का जी.एस.टी. कानून पारित करवाया गया है . बाकी सभी राज्यों एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों को यह कानून अपनी –अपनी विधान सभाओं से पारित करवाना है.

प्रश्न :-जी.एस. टी. के लिए 1 अप्रैल 2017 की तारीख तो अब स्थगित की जा चुकी है और अब नयी तारीख 1 जुलाई 2017 दी गई है . एक

तारीख और है 16 सितम्बर 20017 और इस तारीख तक यदि जी.एस.टी. लागू नहीं हुआ तो एक अप्रत्यक्ष करो को लेकर एक संकट पैदा हो जाएगा क्यों की जी.एस.टी. संवैधानिक संशोधन विधेयक के अनुसार 16 सितम्बर 2017 को अभी लागू सभी कर समाप्त हो जायेंगे. ऐसे मे सरकार किस तरह से करों को एकत्र करेगी .

सुधीर हालाखंडी :-

जिस तरह से सरकार की तैयारी है और जिस तरह के कानून निर्माताओं द्वारा दावे किये जा रहें है उनके अनुसार जी.एस.टी. एक जुलाई 2017 से लागू हो ही जाएगा और अब सरकार का कर्तव्य भी है कि अब वह इस तारीख से जी.एस,टी. को लागू कर दे . अत: इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि ऐसी कोई स्तिथी उत्पन्न होगी .

प्रश्न :-चलिए मान लेते हैं लेकिन हो सकता है कि सरकार 16 सितम्बर 2017 तक जी.एस.टी. नहीं लागू कर सके तो क्या होगा ?

सुधीर हालाखंडी :-

इस तरह की स्तिथी में संकट तो है पर इसके दो हल है पहला यह कि सरकार कारण बताए हुए राष्ट्रपति महोदय के पास जाए और वे अपनी संविधान संशोधन विधेयक द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग कर अभी तक जारी करों को आगे बढ़ा दें और दूसरा यह यह है कि सरकार फिर से संसद मे जाए .
इन दोनों ही रास्तों से इस समस्या का हल मिल सकता है . इसलिए आप निश्चिन्त रहिये ऐसी किसी भी स्तिथी में देश अप्रत्य्यक्ष करों के बिना नहीं रहेगा और अभी चल रहे अप्रत्यक्ष कर लागू रहेंगे.

DO NOT COPY

प्रश्न :-आई.जी.एस.टी. – क्या यह वस्तु की लागत बढ़ाएगा

आई.जी.एस.टी. के बारे में कहा जा रहा है कि दो राज्यों के बीच होने वाले व्यापार के दौरान ना सिर्फ माल की लागत बढ़ाएगा बल्कि प्रक्रिया सबंधी उलझने भी पैदा करेगा . क्या यह सही आशंका है ?

सुधीर हालाखंडी :-

आई.जी.एस.टी. कोई अलग कर नहीं है बल्कि यह एक ऐसा तन्त्र है जिससे दो राज्यों के बीच होने वाले व्यापार को इस तरह से नियंत्रित किया जाएगा जिससे एकत्र होने वाले कर का एक हिस्सा जो कि सी.जी.एस.टी. अर्थात केंद्रीय जी.एस.टी. के बराबर होगा वह केंद्र को जाएगा एवं दूसरा हिस्सा जो कि एस.जी.एस.टी. अर्थात राज्यों के जी.एस.टी. के बराबर होगा वह उस राज्य को जाएगा जहाँ वह माल उपभोग किया जाएगा .

DO NOT COPY

जी.एस.टी. एक अंतिम उपभोक्ता के राज्य को मिलने वाला कर है इसलिए जो निर्माता राज्य होगा उसे कोई कर नहीं मिलेगा. इस प्रकार आपके प्रश्न का जो पहला हिस्सा है उसका जवाब है और इससे कोई कर नहीं बढेगा लेकिन आई.जी..एस.टी .डीलर्स के प्रक्रिया संबंधी लागत एवं उलझने जरुर बढ़ जायेंगी.

प्रश्न :- क्या आई.जी.एस.टी. भी केंद्र एवं राज्यों के जी.एस.टी. कानून के अनुसार चलेगा ?

सुधीर हालाखंडी :-

नहीं, आई.जी.एस.टी. के लिए एक अलग आई.जी.एस.टी. कानून बना है जिसे सी.जी.एस.टी. कानून की तरह ही राष्ट्रपति महोदय अपनी स्वीकृती दे चुके है .

प्रश्न :-क्या आई.जी.एस.टी. भी अभी जारी केंद्रीय बिक्री कर कानून सी.एस.टी. की तरह सी- फॉर्म इत्यादि होंगे जिनसे अक्सर व्यापारी वर्ग परेशान रहता है .

सुधीर हालाखंडी

आई.जी.एस.टी. में सी.एस.टी. अर्थात अभी जारी केन्द्रीय बिक्री कर की तरह कर की कोई रियायती दर ही नहीं होगी इसलिए सी-फॉर्म जैसे किसी फॉर्म की कोई जरुरत नहीं होगी.

DO NOT COPY

प्रश्न :- क्या जी.एस.टी. के दौरान कोई रोड परमिट जैसा फॉर्म भी होगा या अब डीलर्स को इससे मुक्ती मिल जाएगी ?

सुधीर हालाखंडी

ये सवाल काफी दिनों से डीलर्स के दिमाग में था और उन्हें यह उम्मीद थी कि व्यापार करने में इस तरह की बाधाएँ जी.एस.टी. के दौरान नहीं रहेंगी लेकिन ऐसा लगता नहीं है और अभी जारी ड्राफ्ट रूल्स के अनुसार प्रत्येक 50000.00 रूपये के बिल के साथ एक इलेक्ट्रोनिक वे बिल जारी करना होगा .

इसके साथ ही एक प्रावधान यह है कि यदि आपका माल वाहन कहीं 30 मिनिट से ज्यादा चेकिंग के लिए रोका जाता है तो इसकी सूचना जी.एस.टी.एन . पोर्टल पर दे सकते है इसका उद्देश्य शायद यही होगा कि इस सम्बन्ध में होंने वाली समय की बर्बादी को रोका जा सके.

लेकिन फिर भी यह प्रावधान आपके लिए प्रक्रिया संम्बन्धी संकट ही पैदा करेगा और इसके लिए सरकार से हमने भी मांग की है कि इस राशि को बढ़ा कर 5.00 लाख रूपये कर देना चाहिए.

प्रश्न :-क्या जी.एस.टी. लागू होने के दिन हमारे पास जो भी स्टॉक होगा उसे जो भी कर लगा हुआ होगा क्या जी.एस..टी. के लगने के बाद उस कर की क्रेडिट मिलेगी ?

सुधीर हालाखंडी:-

हाँ आपके अंतिम स्टॉक में जो भी वेट एवं सेंट्रल एक्साइज जुडा होगा और जिसकी इनपुट क्रेडिट आपकी अभी जारी कर कानून के तहत बकाया है तो उसकी क्रेडिट आपको जी.एस.टी. कानून के तहत मिलेगा . इसके अतिरिक्त आप यदि सेंट्रल एक्साइज के तहत रजिस्टर्ड नहीं ही लेकिन आपके बिल में सेंट्रल एक्साइज लगा है तो भी आपको उसकी क्रेडिट मिल जायेगी और यदि आपके स्टॉक पर सेंट्रल एक्साइज लगा है लेकिन बिल में नहीं दिख रहा है तो भी आपको इसकी क्रेडिट एक तय किये गए नियम के अनुसार मिलेगी.

DO NOT COPY

यह क्रेडिट कुछ नियम/शर्तों के अनुसार मिलेगी जिनका विस्तार से वर्णन हम आगे के हमारे किसी भाग में करेंगे .

प्रश्न :- इस समय जो वस्तुएं कर मुक्त है क्या वे जी.एस.टी. के दौरान भी करमुक्त रहेंगी क्या इस तरह की सम्भावना बनती है .

सुधीर हालाखंडी:-

अभी करमुक्त वस्तुओं की कोई सूचि तो जारी नहीं हुई है अभी लेकिन इस समय तक जो समाचार मिल रहें है उनके अनुसार आप यह उम्मीद

कर सकते है कि अभी जो वस्तुएं करमुक्त है वे सभी करमुक्त , कुछ अपवादों को छोड़कर , रहने की संम्भावना है .

लेकिन इसके अन्तिम जवाब के लिए आप अभी करमुक्त वस्तुओं की सूची जारी होने का इन्तजार करें .

प्रश्न :- क्या डीलर्स (जो निर्माता नहीं है) उन्हें भी स्टॉक की पूरी डिटेल रखनी पड़ेगी ?

सुधीर हालाखंडी:-

अभी हाल ही में जो जी.एस.टी. में एकाउंट्स के सम्बन्ध में ड्राफ्ट रूल्स जारी किये गए है उनके अनुसार सभी डीलर्स (कम्पोजीशन डीलर्स को छोड़कर) स्टॉक की पूरी डिटेल रखनी पड़ेगी और कई प्रकार के व्यापार में यह काफी मुशकिल होगा लेकिन अभी तो सरकार की यही मंशा जाहिर हो रही है .

DO NOT COPY

प्रश्न :- जी.एस.टी. के दौरान कम्पोजीशन स्कीम भी है लेकिन एक मेरा और सवाल है मेरा एक जनरल स्टोर है जिसके लिए मैं कम्पोजीशन स्कीम में हूँ और जीएस.टी. में भी यह जारी रखूंगा क्यों कि वेट और जी.एस.टी. के रिकॉर्ड रखना संभव नहीं है . अब मै एक और व्यवसाय प्रारम्भ कर रहा हूँ जिसे मेरा माल राज्य के बाहर भी जाएगा . क्या मै जी.एस.टी. के दौरान मेरे जनरल स्टोर के लिए कम्पोजीशन जारी रख सकूंगा ?

सुधीर हालाखंडी:-

जी.एस.टी. के दौरान यदि आपके “दो तरह के अलग –अलग” व्यापार है तो एक ही पेन पर दो रजिस्ट्रेशन आप ले सकते है . यह एक अच्छी

व्यवस्था है क्यों कि कई राज्यों के वेट काननं के अनुसार एक पेन पर दो रजिस्ट्रेशन आप नहीं ले सकते थे .

लेकिन जो कम्पोजीशन के रूल्स जारी किये गए हैं उनके अनुसार यदि एक पेन पर जारी जी.एस.टी.एन रजिस्ट्रेशन के लिए आपने कम्पोजीशन ले रखा है तो उस पेन पर जारी सभी रजिस्ट्रेशन कम्पोजीशन का पालन करेंगे और जिस व्यापर में आप राज्य के बाहर बिक्री करते है वहां कम्पोजीशन संभव नहीं है .
यह एक विरोधाभासी प्रावधान है और इसमें अंतिम जी..एस.टी. लगने तक सरकार को उचित संशोधन कर देना चाहिए .
अभी हम इन सवालों का सिलसिला समाप्त कर रहें है . आपके कुछ और सवाल हम अगले कुछ अंको में लेंगे.

DO NOT COPY

- सुधीर हालाखंडी
- sudhirhalakhandi@gmail.com
- whatsappp 98280-67256
- My Place :- राजस्थान

-समाप्त-